

प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्राओं की समस्याएँ: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के विशेष संदर्भ में



रश्मि सिंह

सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
महिला महाविद्यालय,
कानपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश

प्राथमिक शिक्षा किसी भी व्यक्ति के जीवन की वह नींव होती है जिस पर उसका भविष्य निर्भर करता है। जब बात बालिका शिक्षा की आती है तो इस पर न केवल बालिकाओं का बल्कि परिवार और सम्पूर्ण समाज का भविष्य निर्भर करता है। बालिका शिक्षा से ही कोई भी समाज शिक्षित और समृद्ध हो सकता है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने अनेक प्रयास किये हैं परन्तु फिर भी बालिका शिक्षा अपने उद्देश्यों से बहुत दूर है। भारतीय समाज में अभी भी बालिकाओं को जन्म के अधिकार के लिये संघर्ष करना पड़ रहा है तो फिर शिक्षा के अधिकार के लिये अभी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। बालिकाओं के समक्ष प्राथमिक शिक्षा के स्तर से ही अनेक चुनौतियाँ आने लगती हैं। कभी समाज का उनकी शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, कभी अभिभावकों की निरक्षरता और निर्धनता, कभी लैंगिक भेदभाव, कभी विद्यालय का अरुचिकर वातावरण आदि समस्याओं के कारण छात्राएँ अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पातीं। अभिभावकों में असुरक्षा की भावना बालिकाओं की शिक्षा में बाधक है। विद्यालय में महिला शिक्षकों का अभाव, छात्राओं के लिए अलग से शौचालय न होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में रुचि न लेना भी बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधक है। इन समस्याओं के समाधान के बिना बालिका शिक्षा हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (1 अप्रैल 2010) को लागू हुए 9 वर्ष हो गये हैं, परन्तु बालिका शिक्षा और उनकी समस्याओं की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हुआ है। अतः समाज को शिक्षित और समृद्ध बनाने के लिए आधी आबादी की शिक्षा के मार्ग में आने वाली इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है।

मुख्य शब्द : ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि, अशिक्षा, आर्थिक स्थिति, ढाँचागत सुविधाएँ।

प्रस्तावना

शिक्षा मानव जीवन के विकास का प्रमुख आधार है। बिना शिक्षा के मनुष्य को पशु की श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षा से तात्पर्य सीखने सिखाने की प्रक्रिया से है। यह मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। महात्मा गांधी के शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है।¹ दुर्खीम का मानना है कि शिक्षा समाजीकरण का प्रमुख आधार है। यह समाज से समरूपता लाती है। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थी भिन्न-भिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं। साथ में शिक्षा ग्रहण करने से उन्हें एक समान मूल्य सिखाये जाते हैं, जो कि सामाजिक सुदृढ़ता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार शिक्षा किसी भी समाज के विकास का अभिन्न और अनिवार्य अंग है। बालकों के साथ-साथ जब बालिका शिक्षा की बात होती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। बालिका शिक्षा परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब एक पुरुष शिक्षित होता है, तब एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परन्तु जब एक स्त्री शिक्षित होती है, तो सम्पूर्ण परिवार शिक्षित होता है।

भारतीय समाज में आदिकाल से ही स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न और दयनीय रही है। उनकी शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया। उन्हें पारिवारिक कार्यों और सामाजिक रूढ़ियों के कारण शिक्षा का अवसर नहीं दिया गया। भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करने पर पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति समाज में उच्च और सम्माननीय थी। बालिका शिक्षा उस समय तपोवन में संचालित होती थी। मैत्रेयी, गार्गी, अपाला, घोषा आदि विदुषी स्त्रियों के नाम वैदिक काल में मिलते हैं। परन्तु धीरे-धीरे स्त्री शिक्षा की स्थिति में अवनति प्रारम्भ हो गयी। उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं रही। वही मध्यकाल में स्त्री शिक्षा की स्थिति

अत्यधिक निम्न स्तर पर आ गयी। इस समय स्त्री मात्र भोग-विलास का साधन बनकर रही गयी। इस काल में कुछ उच्च घरानों की महिलाओं को ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस काल में बाल-विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की स्थिति अत्यंत निम्न हो गयी और इसका सीधा असर उनकी शिक्षा पर पड़ा। मध्यकाल के बाद ब्रिटिश काल में स्त्रियों की शिक्षा को स्वीकार कर इस पर विशेष ध्यान दिया गया। इस समय स्त्रियों की शिक्षा हेतु अनेक विद्यालय खोले गये। 1947 तक स्त्री शिक्षा में पर्याप्त उन्नति हुई।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने बालिका शिक्षा हेतु विशेष प्रयास प्रारम्भ किये। इसके लिए अनेक आयोग गठित किये गये। 1948-49 में गठित राधाकृष्णन आयोग स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसके अतिरिक्त मुदालियर आयोग, मेहता समिति, एम. भक्तवत्सलम् समिति, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (1988), सर्व शिक्षा अभियान (2001) आदि के माध्यम से स्त्री शिक्षा के लिए प्रावधान किये गये। वर्ष 2010 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6-14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य कर दी गयी। इससे भी बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पुस्तकें, यूनीफार्म, बैग, जूते, बर्तन आदि योजनाओं का भी सकारात्मक प्रभाव बालिका शिक्षा पर पड़ा है। वर्ष 1951 में भारत में महिला साक्षरता दर 9.45 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2011 में 65.46 प्रतिशत है। यद्यपि यह पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत से कम है।

शोध की समस्या

स्वतंत्रता के बाद भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है परन्तु स्त्री साक्षरता दर (65.46%) अभी भी पुरुष साक्षरता दर (82.14%) से कम है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनायें बनाई गयी परन्तु भारतीय समाज में परम्परागत मूल्यों की जड़ें अत्यंत गहरी हैं जो कि अभी भी बालिका शिक्षा को हीन दृष्टि से देखती हैं। यद्यपि भारतीय समाज में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, परन्तु अभी भी अनेक सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारण हैं जो बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन्हीं समस्याओं के कारण बालिकाएँ या तो शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ देती हैं। जो बालिकाएँ विद्यालय में नामांकन करा चुकी हैं, वे भी नियमित विद्यालय नहीं जा पाती। अतः छात्राओं की इन समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण महत्वपूर्ण है।

साहित्यावलोकन

साहित्य की समीक्षा किसी भी शोध कार्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। साहित्य की समीक्षा पर ही शोध की दिशा निर्भर करती है। वर्मा, पूजा एवं गायत्री रैना (2016) ने "शिमला के सरकारी विद्यालय के बालक बालिकाओं के अभिभावकों के सम्बन्धों का अध्ययन" विषय पर शोध किया। उन्होंने 50 बालक व 50 बालिकाओं का उनके अभिभावकों के साथ सम्बन्धों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों में उन्होंने पाया कि अभिभावक बालिकों की अपेक्षा बालिकाओं की सुरक्षा के लिये अधिक

चिंतित रहते हैं। यही कारण है कि वे बालिकाओं को विद्यालय भेजने में रुचि नहीं दिखाते। विजय, राजीव (2016) ने "राज्य मुक्त शिक्षा में बालिका नामांकन: एक सांकेतिक अध्ययन" विषय पर शोध किया और पाया कि अजमेर (राजस्थान) में कक्षावार बालिका नामांकन ऊर्ध्वगामी रहा है। मुक्त शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं की भागीदारी अधिक है। श्रीवास्तव, रश्मि, (2016) ने "लैंगिंग विषमता और बालिका शिक्षा का पिछड़ापन एवं उपचारी मापन" विषय पर शोध कार्य किया और पाया कि बालिका शिक्षा के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण पारिवारिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण, अशिक्षा बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व विद्यालय का अरुचिकर वातावरण आदि है। कुमार, मनोज (2017) ने "विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों की बढ़ती हुई समस्याएं: एक गम्भीर चुनौती" विषय पर अध्ययन किया और पाया कि छात्राओं की समस्याओं के गम्भीर परिणामों को देखते हुए अध्यापकों को माता-पिता के साथ मिलकर उचित समाधान निकालने की आवश्यकता है। बलि (2017) ने जम्मू कश्मीर के त्रिकूटनगर क्षेत्र का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का उद्देश्य वहां की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को जानना था। उन्होंने 100 महिलाओं का चयन अध्ययन हेतु किया। निष्कर्ष स्वरूप उन्होंने पाया कि 20 प्रतिशत उत्तरदाता बालिका शिक्षा को महत्व नहीं देते। वे बालकों की शिक्षा पर अधिक महत्व देते हैं। अधिकांश उत्तरदाता निम्न शैक्षिक योग्यता वाले थे। पत्रिका, राजस्थान (2017) अहमदाबाद के अनुसार गुजरात में बालिका शिक्षा की स्थिति यू0पी0 और बिहार समेत कई राज्यों के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई है। इसका कारण महिलाओं की विभिन्न समस्याएं ही हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

1. छात्राओं की धार्मिक व जातिगत स्थिति का अध्ययन।
2. छात्राओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अध्ययन।
3. प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर छात्राओं की समस्याओं का अध्ययन।

अध्ययन पद्धति

प्रस्तुत शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है तथा यथास्थान अन्वेषणात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। आकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के श्रोतों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु ब्लॉक का चयन उद्देश्यपूर्ण निर्देशन द्वारा तथा विद्यालयों का चयन दैव निर्देशन द्वारा किया गया है। अध्ययन के लिए 50 छात्राओं का चयन दैव निदर्शन द्वारा किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मल्लावाँ ब्लॉक के 2 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है। ये विद्यालय क्रमशः प्राथमिक विद्यालय गोसवा और प्राथमिक विद्यालय देवमनपुर हैं। प्रत्येक विद्यालय से 25-25 छात्राओं का चयन किया गया है।

वर्गीकरण और विश्लेषण**सारणी संख्या 1
छात्राओं की धार्मिक स्थिति :**

धर्म	आवृत्ति	प्रतिशत
हिन्दू	38	76
मुस्लिम	12	24
सिख	—	—
ईसाई	—	—
अन्य	—	—
कुल	50	100

सारणी संख्या 1 में प्रतिदर्श 50 छात्राओं की धार्मिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल 100 में से 76 प्रतिशत छात्राएं हिन्दू और 24 प्रतिशत छात्राएं मुस्लिम धर्म से सम्बन्धित हैं। किसी भी विद्यालय में सिख, ईसाई या किसी अन्य धर्म की छात्राएं अध्ययन नहीं करती।

**सारणी संख्या 2
छात्राओं की जातीय स्थिति**

जाति	आवृत्ति	प्रतिशत
सामान्य	07	14
पिछड़ा वर्ग	15	30
अनु० जाति	28	56
अनु० जनजाति	—	—
कुल	50	100

सारणी संख्या 2 में छात्राओं की जातीय स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। सारणी अध्ययन से पता चलता है कि 14 प्रतिशत छात्राएं सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हैं। वहीं कुल छात्राओं में से 30 प्रतिशत छात्राएं अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित हैं। सर्वाधिक 56 प्रतिशत छात्राएं अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं। विद्यालय में कोई भी छात्रा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

**सारणी संख्या 3
छात्राओं की आर्थिक स्थिति**

स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
निम्न	30	60
मध्यम	20	40
उच्च	—	—
कुल	50	100

सारणी संख्या 3 में छात्राओं की आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल (100) में से 60 प्रतिशत छात्राएं निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं। वहीं 40 प्रतिशत छात्राएं मध्यम आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से सम्बन्धित हैं। कुल (100) में से कोई भी छात्रा उच्च वर्ग की नहीं है।

**सारणी संख्या 4
छात्राओं की पारिवारिक स्थिति**

परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
संयुक्त	28	56
एकल	22	44
कुल	50	100

सारणी संख्या 4 में छात्राओं की पारिवारिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 56 प्रतिशत छात्राएं संयुक्त परिवार से सम्बन्धित हैं जबकि 44 प्रतिशत छात्राएं एकल परिवार से सम्बन्धित हैं।

**सारणी संख्या 5
छात्राओं के प्रति लैंगिक भेदभाव की स्थिति**

लैंगिक भेदभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	40	80
नहीं	10	20
कुल	50	100

सारणी संख्या 5 के अध्ययन से पता चलता है कि कुल (100) छात्राओं में से 80 प्रतिशत छात्राओं ने माना है कि उनके साथ लैंगिक भेदभाव होता है। 20 प्रतिशत छात्राओं ने लैंगिक भेदभाव न होने की बात कही है।

**सारणी संख्या 6
विद्यालय से सम्बन्धित समस्याएं**

समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत
घर से विद्यालय की दूरी	07	14
महिला शिक्षकों का अभाव	12	24
ढाँचागत सुविधाओं का अभाव	09	18
अन्य	07	14
कुल	50	100

सारणी संख्या 6 में छात्राओं की विद्यालय से सम्बन्धित समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 14 प्रतिशत छात्राओं की प्रमुख समस्या घर से विद्यालय की अधिक दूरी है। 30 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालय में शौचालय के अभाव को समस्या बताया। 24 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में महिला शिक्षकों का अभाव है। 18 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालय में ढाँचागत सुविधाओं की अपर्याप्तता की बात की। वहीं 14 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य सुविधाओं के अभाव उल्लेख किया।

**सारणी संख्या 7
शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याएं**

समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत
शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या	18	36
शिक्षण कार्य में रुचि नहीं	08	16
शिक्षकों द्वारा शारीरिक दण्ड	08	16
शिक्षकों द्वारा प्रोत्साहन न देना	12	24
अन्य	04	08
कुल	50	100

सारणी संख्या 7 में शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याओं को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल (100) में से 36 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालय में शिक्षकों की संख्या अपर्याप्त बताई। 16 प्रतिशत छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में शिक्षकों द्वारा शारीरिक दण्ड दिया जाता है। 24 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि शिक्षक शिक्षा के

लिए छात्राओं को प्रोत्साहित नहीं करते। 8 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य समस्याओं का उल्लेख किया।

सारणी संख्या 8**अभिभावकों से सम्बन्धित समस्याएं**

समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत
अभिभावकों की निर्धनता	17	34
अभिभावकों की अशिक्षा	11	22
अभिभावकों द्वारा लैंगिक भेदभाव	07	14
जागरूकता का अभाव	10	20
अन्य	05	10
कुल	50	100

सारणी संख्या 8 में अभिभावकों से सम्बन्धित समस्याओं को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि 34 प्रतिशत छात्राओं के अभिभावक निर्धन हैं। 22 प्रतिशत अभिभावक अशिक्षित हैं। 14 प्रतिशत छात्राओं के अभिभावकों द्वारा लैंगिक भेदभाव किया जाता है। 20 प्रतिशत छात्राओं के अभिभावकों में जागरूकता का अभाव है। 10 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य समस्याएं बताईं।

सारणी संख्या 9**छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याएं**

समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत
अध्ययन में रुचि नहीं	12	24
अस्वस्थता	10	20
विकलांगता	06	12
माता/पिता की मृत्यु	04	08
अन्य	18	36
कुल	50	100

सारणी संख्या 9 में छात्राओं की व्यक्तिगत समस्याओं को सारणीबद्ध करके प्रदर्शित किया गया है। सारणी के अध्ययन से पता चलता है कि कुल (100) छात्राओं में 24 प्रतिशत छात्राओं की अध्ययन में रुचि नहीं है। 20 प्रतिशत छात्राएँ शारीरिक अस्वस्थता के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पातीं तथा 12 प्रतिशत छात्राएँ विकलांगता के कारण। माता-पिता की असामयिक मृत्यु 8 प्रतिशत छात्राओं की शिक्षा में बाधक है। 36 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य व्यक्तिगत समस्याओं की बात की है।

सारणी संख्या 10**सामाजिक समस्याएं**

समस्याएं	आवृत्ति	प्रतिशत
अशिक्षा	11	22
बालिका शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण	16	32
जागरूकता का अभाव	10	20
असुरक्षा की भावना	09	18
अन्य	04	08
कुल	50	100

सारणी संख्या 10 में छात्राओं की शिक्षा में बाधक, सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित किया गया है। सारणी के विश्लेषण से पता चलता है कि 22 प्रतिशत छात्राओं ने बालिका शिक्षा के प्रति समाज के नकारात्मक

दृष्टिकोण को प्रमुख समस्या माना है। 20 प्रतिशत छात्राओं की समस्या समाज में जागरूकता का अभाव है। 18 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि असुरक्षा बालिका शिक्षा के मार्ग में बाधक है। 8 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य सामाजिक समस्याएं बताईं।

निष्कर्ष

शोध पत्र में उद्धृत सारणियों के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकांश छात्राएँ (76 प्रतिशत) हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हैं। सर्वाधिक 56 प्रतिशत छात्राएँ अनुसूचित जाति से हैं। 30 प्रतिशत छात्राएँ पिछड़ा वर्ग से और 14 प्रतिशत सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हैं। सारणी के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि 60 प्रतिशत छात्राएँ निम्न आर्थिक स्थिति की और 40 प्रतिशत छात्राएँ मध्यम आर्थिक स्थिति की। अतः हम कहते हैं कि प्रतिदर्श सभी 50 छात्राओं में से अधिकांश छात्राएँ निम्न वर्ग की हैं। इनमें से 56 प्रतिशत छात्राएँ संयुक्त परिवार में और 44 प्रतिशत छात्राएँ एकल परिवार की सदस्य हैं। समाज में लैंगिक भेदभाव की स्थिति का आकलन इसी सारणी के आकड़ों के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ 80 प्रतिशत छात्राओं ने उनके साथ लैंगिक भेदभाव की बात स्वीकार की है। आधुनिक प्रगतिशील समाज में यह आँकड़ा चिंता का विषय है। छात्राओं की विभिन्न समस्याओं में विद्यालयी समस्याएं, अभिभावकों से सम्बन्धित समस्याएं, शिक्षकों से सम्बन्धित समस्याएं व अन्य सामाजिक समस्याएं प्रमुख हैं। विद्यालयी समस्याओं के प्राप्त आंकड़ों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यालय में शौचालय और महिला शिक्षकों का अभाव प्रमुख समस्या है। शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या और उनके द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहन न देना भी छात्राओं की समस्या है। अभिभावकों की निर्धनता (34%), अशिक्षा (22%), जागरूकता का अभाव भी छात्राओं की शिक्षा के विकास में बाधक है। 24 प्रतिशत छात्राओं की अध्ययन में रुचि नहीं है। समाज में व्याप्त अशिक्षा (22%), बालिका शिक्षा के प्रतिशत नकारात्मक दृष्टिकोण (32%), जागरूकता का अभाव (20%) भी छात्राओं की शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं।

सुझाव

शोधपत्र से प्राप्त निष्कर्षों से पता चलता है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर आने वाली विभिन्न समस्याओं के कारण छात्राएँ या तो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाती या कर लेती हैं तो उसके आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती। अतः प्राथमिक स्तर पर ही छात्राओं की इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय में शिक्षकों की संख्या विशेषकर महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अभिभावकों को जागरूक कर उन्हें बालिका शिक्षा हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए समाज में जागरूकता लानी चाहिए। विद्यालयी वातावरण व शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जाना चाहिए ताकि छात्राओं की शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। इसके साथ ही बालिका सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा इससे प्रभावित न हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जे०सी० (2004), "आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
2. आप्टे, प्रभा (1996), "भारतीय समाज में नारी," क्लासिक पब्लिकेशन्स, जयपुर।
3. अरोड़ा, रंजन व बोहरा अमरेन्द्र (2009), "ग्रामीण भारत में विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मुद्दे" एन०सी०ई०आर०टी०, नई दिल्ली।
4. उपाध्याय, स्नेहलता (1998), "राजस्थान राज्य में महिला शिक्षा की प्रवृत्ति का अध्ययन", शिक्षा संकाय, वनस्थली विद्यापीठ, लघु शोध प्रबन्ध।
5. कपूर, उर्मिला (2004), "भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएँ साहित्य प्रकाशन, आगरा।
6. कुमारी, रूबी (2010), "बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा", प्रतियोगिता दर्पण, फरवरी 2010।
7. भटनागर, सुरेश एवं अनामिका सक्सेना, (2007), आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ", आर०एल० बुक डिपो, मेरठ।
8. माहेश्वरी, सरला (1998), "नारी प्रश्न" राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
9. राव, दिगमूर्ति भास्कर (2001), "एजुकेशन फॉर वूमैन", डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।